रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 22 अक्तूबर, 1984/30 आश्विन, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 1984

क्रमांक एल० एल० आर०-डी० (6) 20/84.—हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय विधेयक, 1984 (1984 का संख्यांक 22) जैसा राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत दिनांक 20 अक्तूबर,

1984 को अनुमोदित किया गया, को एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के अधिनियम संख्या 1984 को 22 के रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव ।

1984 का अधिनियम संख्यांक 22.

हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1984

(राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्तूबर, 1984 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में वनों के परिरक्षण और समुदाय को वन पर आधारित आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने के प्रयोजन के लिए, कुछ मामलों में निवारक निरोध का तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1984 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है ।

(3) यह 27 जून, 1984 से प्रवृत्त होगा और प्रवत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "बोर्ड" से धारा 9 के अधीन गठित सलाहकार बोड अभिप्रेत है ;

(ख) "निवारक आदेश" से धारा 3 के अधीन किया गया आदेश अभिप्रेत है ;

(ग) "उच्च न्यायालय" से हिमाचल प्रदश उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ;

1927 का 16

(घ) "वन उपज" के वही अर्थ हैं जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खण्ड (4) में है ; और

1927 का 16

(ङ) ऐसे अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति ।

3. यदि राज्य सरकार का, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में, यह समाधान हो जाता है कि राज्य में वनों के परिरक्षण और समुदाय को वन पर आधारित आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय और सेवाएं बनाए रखने तथा उससे सम्बद्ध मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने से उसे निवारित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "राज्य में वनों के परिरक्षण और समुदाय को वन पर आधारित आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने तथा उससे सम्बद्ध मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करना" पद से अभिप्रेत है—

(क) भारतीय वन अधिनियम, 1927, हिमाचल प्रदेश भू-परिरक्षण अधिनियम, 1978, हिमाचल प्रदेश बिरोजा और बिरोजा उत्पाद (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1981 या हिमाचल प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1982 या किसी वन उपज के नियन्त्रण, उपार्जन, प्रदाय या वितरण, या व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करना, या ऐसा अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करना या उकसाना ; या — 1927 का 16, 1978 का 2, 1981 का 6, 1982 का 5

(ख) अभिलाभ प्राप्त करने की दृष्टि से वन उपज का किसी ऐसी रीति से व्यवहार करना जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विफल हो जाएं या विफल किए जा सकते हैं।

निरोध के आदेशों का निष्पादन।

4. निरोध के आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर, उस रीति से किया जा सकेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन गिरफ्तारी के वारण्ट के निष्पादन के लिए उपबंधित है। — 1974 का 2

निरोध के स्थान और शर्तों के विनियमन की शक्ति।

5. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत निरोध आदेश किया गया है, निम्नलिखित के लिए दायी होगा:—

(क) ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अन्तर्गत, भरणपोषण, अनुशासन और अनुशासन के भंग के लिए दण्ड के बारे में शर्तें भी हैं, जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निरुद्ध किए जाने ; और

(ख) निरोध के एक स्थान से, निरोध के दूसरे स्थान को, चाहे वह राज्य में हो या राज्य के बाहर हो, राज्य सरकार के आदेश द्वारा हटाए जाने, का दायी होगा :

परन्तु राज्य सरकार खण्ड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति को राज्य के बाहर किसी स्थान पर हटाने का आदेश उस राज्य सरकार की सहमति से ही देगी अन्यथा नहीं, जिसमें वह स्थान स्थित है, जहां व्यक्ति को हटाया जाना है ।

निरोध के आदेशों का कतिपय आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना।

6. कोई निरोध आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा कि—

(क) उसके अधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, राज्य सरकार की या आदेश करने वाले अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान उक्त सीमाओं के बाहर है।

फरार व्यक्तियों के सम्बन्ध में शक्तियां ।

7. (1) यदि राज्य सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिस के सम्बन्ध में निरोध का आदेश किया गया है, फरार हो गया है या अपने को इस प्रकार छिपा रहा है कि उस आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सकता है तो राज्य सरकार —

(क) उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट, ऐसे प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट को करेगी, जो उस स्थान पर अधिकारिता रखता है, जहां उक्त व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है; या

(ख) राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर, ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हाजिर हो ।

1974 का 2

(2) किसी व्यक्ति के विरुद्ध उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन रिपोर्ट किए जाने पर, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 82, 83, 84 और 85 के उपबन्ध, उक्त व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो उसे निरुद्ध करने का आदेश मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारण्ट हो ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जारी किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो जब तक वह, यह साबित नहीं कर देता है कि उसका अनुपालन उसके लिए सम्भव नहीं था और उसने आदेश में वर्णित अधिकारी को, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, उस कारण की, जिससे उसका अनुपालन असम्भव हो गया था तथा अपने पते-ठिकाने की सूचना दे दी थी, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

1974 का 2

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

निरोध के आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को निरोध के आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना ।

8. (1) जब कोई व्यक्ति निरोध के आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्यशीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से साधारण तौर पर पांच दिन के भीतर और असाधारण परिस्थितियों में, और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दस दिन के भीतर, उसको वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है और राज्य सरकार को, उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का, उसे शीघ्रतम अवसर देगा ।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह ऐसे तथ्यों को प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझता है ।

सलाहकार बोर्ड का गठन ।

9. (1) जब भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक या अधिक सलाहकार बोर्ड गठित करेगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक बोर्ड तीन ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अर्हित हैं, और ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) राज्य सरकार, सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

सलाहकार बोर्ड को निर्देश।

10. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश किया गया है, राज्य सरकार उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से चार सप्ताह के भीतर, धारा 9 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष, उन आधारों को जिन पर वह आदेश किया गया है और उस आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को, यदि कोई हो, रखेगी।

सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया।

11. (1) सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजनार्थ बुलाए गए किसी व्यक्ति से या सम्बन्धित व्यक्ति से, ऐसी अतिरिक्त जानकारी मंगाने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझता है या यदि सम्बद्ध व्यक्ति यह चाहता है कि उसे सुना जाए, तो वैयक्तिक रूप से उसे सुनने के पश्चात्, राज्य सरकार को, सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से दस सप्ताह के भीतर, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट में, उसके पृथक भाग में, सलाहकार बोर्ड की यह राय विनिर्दिष्ट की जाएगी कि सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं।

(3) जब सलाहकार बोर्ड को गठित करने वाले सदस्यों में मतभेद हो, तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय बोर्ड की राय समझी जाएगी।

(4) इस धारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध का आदेश किया गया है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश से सम्बन्धित किसी मामले में, किसी विधि-व्यवसायी द्वारा उपसंजात होने के लिए हकदार नहीं बनाएगी और रिपोर्ट के उस भाग के सिवाय, जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियां और उसकी रिपोर्ट गोपनीय होगी।

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई।

12. (1) ऐसे किसी मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं, राज्य सरकार निरोध के आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा सम्बद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।

(2) ऐसे किसी मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि उसकी राय में सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए, पर्याप्त कारण नहीं हैं, राज्य सरकार निरोध के आदेश को प्रतिसंहृत करेगी और व्यक्ति को तत्काल छुड़वा देगी।

निरोध की अधिकतम अवधि।

13. धारा 12 के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध के आदेश के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को निरोध में रखने की अधिकतम अवधि निरोध की तारीख से, एक वर्ष की होगी :

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात राज्य सरकार की, निरोध के आदेश को किसी पूर्वतर तारीख से, प्रतिसंहृत और उपान्तरित करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

1969 का 16

14. (1) हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निरोध के आदेश को किसी भी समय, प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगी। निरोध के आदेश का प्रतिसंहरण।

(2) निरोध के आदेश का प्रतिसंहरण या अवसान, ऐसे किसी मामले में जिसमें प्रतिसंहरण या अवसान की तारीख के पश्चात्, ऐसे तथ्य उद्भूत हुए हों जिन पर राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश किया जाना चाहिए, उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन नया आदेश करने से वर्जित नहीं करेगा।

15. (1) राज्य सरकार, किसी भी समय, निदेश दे सकेगी कि निरोध के आदेश के अनुसरण में निरुद्ध कोई व्यक्ति या तो बिना शर्त या निदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर, जो उस व्यक्ति को स्वीकार्य हों, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ा जा सकता है और वह उसका छोड़ा जाना, किसी भी समय, रद्द कर सकेगी। निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को अस्थायी तौर पर छोड़ना।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को छोड़े जाने का निदेश देते समय, राज्य सरकार, निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक् रूप से अनुपालन के लिए उससे प्रतिभूतियों सहित या उनके बिना बंध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति अपने आप को उस समय और स्थान पर तथा उस प्राधिकारी के समक्ष अभ्यर्पित करेगा, जो यथास्थिति, उसके छोड़े जाने का निदेश देने वाले या उसका छोड़ा जाना रद्द करने वाले, आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(4) यदि कोई व्यक्ति, बिना पर्याप्त कारण के उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अपने आपको अभ्यर्पित करने में असफल रहता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(5) यदि उप-धारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई व्यक्ति उक्त उप-धारा के अधीन या उसके द्वारा निष्पादित बंध-पत्र में उस पर अधिरोपित शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रहेगा तो बंध-पत्र समपहृत्त घोषित कर दिया जाएगा और उसके द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति उसकी शास्ति के संदाय के लिए दायी होगा।

16. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक-कार्यवाही राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी और न कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक-कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

1984 का 2

17. (1) हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन वैसे ही की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम 27 जून, 1984 को प्रवृत्त था।

शिमला-2, 22 अक्तूबर, 1984

क्रमांक एल० एल० आर०-डी० (6) 38/84.—हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटर्ज (मोडीफ़िकेशनज़ आफ़ सर्टेन अमैनेटीज़) विधेयक, 1984 (1984 का विधेयक संख्यांक 24) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश द्वारा "भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत दिनांक 19 अक्तूबर, 1984 को अनुमोदित किया गया, को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का 1984 का अधिनियम संख्यांक 23 के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव।

Act No. 23 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATORS (MODIFICATIONS OF CERTAIN AMENITIES) ACT, 1984

(ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON THE 19TH OCTOEBR, 1984)

AN

ACT

further to amend the laws relating to the grant of amenities to the Ministers, Speaker, Deputy Speaker, Deputy Ministers and Members of the State Legislature.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislators (Modifications of Certain Amenities) Act, 1984.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971.

3 of 1971

2. At the end of section 7-A of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, the following explanation shall be added, namely:—

"Explanation.—The expression "construction of a house" for the purposes of this section, shall include addition to, alteration in, renovation of or repairs of a house."

Amendment of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971.

4 of 1971

3. At the end of section 7-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, the following explanation shall be added, namely:—

"Explanation.—The expression "construction of a house" for the purposes of this section, shall include addition to, alteration in, renovation of or repairs of a house."

Amendment of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971.

5 of 1971

4. At the end of section 8-A of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, the following explanation shall be added, namely:—

"Explanation.—The expression "construction of a house" for the purposes of this section, shall include addition to, alteration in, renovation of or repairs of a house."

Amendment of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

8 of 1971

5. In the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971,—

(*a*) at the end of section 4-D, the following explanation shall be added, namely:—

"Explanation.—The expression "construction of a house" for the purposes of this section, shall include addition to, alteration in, renovation of or repairs of a house.";

(*b*) the existing section 6-C shall be renumbered as sub-section (1) and thereafter sub-section (2) shall be added, namely:—

"(2) Every person who is entitled to medical facilities under sub-section (1) shall be entitled for medical advance, subject to such conditions as may be prescribed, for himself and for the members of his family.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression "family" shall mean and include the spouse, minor children and parents of such a person wholly dependent upon that person." ; and

(*c*) the word "and" occurring after clause (*ff*) of sub-section (2) of section 7, shall be omitted and thereafter the following clause (*fff*) shall be inserted, namely:—

"(*fff*) the conditions subject to which the medical advance under section 6-C is to be granted; and"

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।